राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

मिशन दस्तावेज

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

विषय-सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
१	प्रस्तावना	३-४
२	मिशन, सिद्धान्त, मूल्य, रणनीति	५-८
३	एन.यू.एल.एम मिशन नगर और लक्षित जनसंख्या	९-९
४	सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास	१०-१४
५	क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण	१५-१६
६	कौशल प्रशिक्षण तथा नियोजन के माध्यम से रोजगार	१७-१८
७	स्व-रोजगार कार्यक्रम	१९-२०
८	शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता	२१-२२
९	वित्त आवंटन और वित्तीय प्रक्रिया	२३-२४
१०	शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना	२५-२७
११	अभिनव एवं विशिष्ट परियोजनाएं	२८-२८
१२	प्रशासन तथा अन्य व्यय सूचना शिक्षा एवं संचार	२९-२९
१३	एन०य०एल०एम का प्रशासन तथा मिशन संरचना	३०-३८
१४	निगरानी और मूल्यांकन	३९-३९
१५	क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश	३९-३९
१६	संलग्नकः- राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची	४०-४०

परिचय

१.१– आर्थिक विकास एवं शहरीकरण में निकट संबद्धता है। देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ भारत में भी शहरों की वृद्धि हो रही हैं। जिनकी सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी. पी.) में ६० प्रतिशत से भी ज्यादा की भागीदारी है। २०११ की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी ३७७ लाख हो चुकी हैं जो कि २००१ से ३१ प्रतिशत की बढोंत्तरी प्रदर्शित करती है। असंगठित क्षेत्रों में काम एंव जीविकोपार्जन के विकास की स्थितियों पर गठित 'राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग' ने अगस्त २००७ में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं उसके अनुसार २००४-०५ में, भारत के समस्त कार्यबल का लगभग ९२ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत था। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा असंगठित गैर कृषिक क्षेत्रों से आता है। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों में शिक्षा एंव कौशल का निम्न स्तर बढ़ते बाजारों द्वारा उपलब्ध अवसरों के दोहन में उनका बाधक बना हुआ हैं। ये दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका के बेहतर अवसरों हेतु कौशल उन्नयन कि कितनी सख्त आवश्यकता हैं।

१.२– अधिकांश गरीब अनौपचारिक क्षेत्रों की गतिविधियों में संलग्न हैं जहॉ उन्हें सदैव हटाये जाने का एवं वस्तुओं के अधिग्रहण का भय बना रहता हैं और लगभग न के बराबर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होती हैं। यहा तक कि शहरी आबादी के वो भाग जो कि निम्न आय वाले नहीं होते हैं उन्हें भी स्वच्छ जीवन यापन लायक परिवेश तक पहुँच के आभाव का सामना करना पड़ता है। और उनके सुख स्वास्थ्य को पक्षपात, सामाजिक बहिष्कार, अपराध, हिंसा, असुरक्षित कार्यकाल, खतरनाक पर्यावरणीय पस्थितियों द्वारा क्षति कारित होती हैं एंव शासन में उनकी भागीदारी का अभाव होता है।

१.३– शहरी गरीबी के आयाम को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

१– आवासीय विषमताएं-(भूमि, आश्रय, मूलभूत सेवाओं आदि तक पहुंच)

२– सामाजिक विषमताएं-(लिंग,आयु,सामाजिक स्तरण के अभाव के रूप में, शासन प्रणाली में भागीदारी का अभाव के रूप में आदि)

३– उपजीविका संबन्धी विषमताएं- (अनिश्चित आजीविका, रोजगार एंव आय हेतु अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भरता, रोजगार सुरक्षा की कमी, खराब कार्यकारी की परिस्थितियां आदि)

ये सभी विषमताएं आपस में एक दूसरे से संबद्ध हैं। शहरी गरीबों के मध्य ये उपर्युक्त विभाजनित तथ्य ही व्यापक विषमताओं की विषय हैं, इसके अर्न्तगत महिलाओं, बच्चों

और वृद्धों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं बिकलांग लोग भी सम्मिलित है जिन पर अलग से प्राथमिकता के रूप में ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

१.४– राष्ट्रीय आवास एंव परिवेश नीति २००७(एन.यू.एच.एच.पी.) का ध्येय, देश में पारिवेशिक स्थायी विकास को इस बात को ध्यान में रखते हुए बढ़ावा देना है कि समाज के सभी वर्गों को भूमि आश्रय और वहन योग्य मूल्यों पर मूलभूत सेवाओं की समरूप आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इन सभी वर्गों में सबसे वंचित वर्ग शहरी निराश्रितों का है जो बिना किसी आश्रय एवं सामाजिक सुरक्षा के जीवन यापन करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्देशों में ये कह कर शहरी निराश्रितों की दुर्दशा को एक प्रमुख मुद्दा बना दिया है कि **'आश्रय का अधिकार'** संविधान के अनुच्छेद २१ द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए शहरी निराश्रितों के लिए एक नीति एंव कार्यक्रम को विकसित किये जाने की सख्त आवश्यकता है।

१.५– शहरी गरीबी के बहुआयामी होने के कारण शहरों एवं कस्बों में गरीबों को विभिन्न प्रकार की विषमताओं का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक, आवासीय, एवं सामाजिक विषमताओं पर एक साथ समानांतर रूप से विशिष्ट एवं केन्द्रित तरीके से लक्षित विषमतामूलक वर्गों को केन्द्रित करते हुये कार्यवाही करनी होगी ताकि वास्तविक और धरातलीय प्रभाव उत्पन्न हो सकें। आवासीय विषमताओं को **(जे.एन.एन.यू.आर.एम)** और आर.ए.वाई. जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अन्य दो, व्यावसायिक एवं सामाजिक विषमताओं से, बाजारोन्मुख रोजगार आधारित कौशल विकास तथा स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना में मदद प्रदान करके सर्वाधिक प्रभावशाली तरीके से निपटा जा सकता है। शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम को मुख्यतः कौशल विकास एवं ऋण की सहज उपलब्धता आधारित बनाये जाने की आवश्यकता है। इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत शहरी आजीविका हेतु मिशन–मोड पद्धति को अपनाया जाना आवश्यक बनाया गया है।

मिशन, सिद्धान्त, मूल्य, रणनीति

NULM का मिशन

२.१– गरीबों की सुदृढ़ आधारभूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं विषमताओं को लाभकारी स्वरोजगारों एवं कुशल पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाकर उनकी आजीविका में स्थायी सुधार करना है। मिशन विभिन्न चरणों में शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एंव आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके अतिरिक्त मिशन शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने, संथागत ऋण उपलब्ध कराने एवं सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केन्द्रित करेगा ताकि उनकी पहुंच बढ़ते हुए बाजार तक हो सके।

मार्गदर्शक सिद्धान्तः

२.२– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की मूल भावना यह है कि शहरी गरीब उद्यमी होते हैं और उनमें गरीबी से बाहर आने की एक जन्म जात इच्छा होती है। वास्तविक चुनौती उनकी क्षमताओं को उन्मुक्त करने/बाहर निकालने की है ताकि सार्थक एवं स्थायी आजीविकाओं का सृजन किया जा सके। शहरी गरीबों को उनकी अपनी संस्थाओं के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना इस दिशा में पहला कदम होगा। उन्हें एवं उनकी संस्थाओं को पर्याप्त क्षमता प्रदान किये जाने की आवश्यकता होगी ताकि वे बाह्य परिस्थितियों को संभाल सकें, पूंजी प्राप्त कर सकें, अपने कौशल का विस्तार कर सकें, उद्यम लगा सकें, एवं परिसम्पत्तियां खड़ी कर सकें। इसके लिए निरंतर सावधानी पूर्वक तैयार किये गये सहयोगी कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। सामाजिक संगठन, संस्था निर्माण एवं आजीविका निर्माण को उत्प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से लेकर शहर एवं सामुदायिक स्तर तक एक बाह्य समर्पित व संवेदशील सहयोगी ढांचे की आवश्यकता होगी।

२.३– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का यह विश्वास है कि आजीविका वृद्धि संबन्धी कोई भी कार्यक्रम तभी समयबद्ध रूप से प्रवर्धित किया जा सकता है जबकि वह स्वयं गरीबों एवं उनकी संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाये। ऐसी सुदृढ़ संस्थाएं ही गरीबों को स्वयं अपनी मानवीय, सामाजिक, वित्तीय एवं अन्य परिसम्पत्तियों का निर्माण करने में सहायक हो सकेंगी। इसी दौरान जबकि वे अपनी संगठनात्मकता, अभिव्यक्ति एवं समझौता शक्ति को बढ़ा रहे होंगे यही प्रक्रिया उन्हें सरकारी एवं गैर सरकारी वर्गों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अधिकारों, उपभागों एवं सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनायेगी।

२.४– संविधान के ७४वें संशोधन अधिनियम १९९२ के अनुसार शहरी गरीबी उपशमन स्थानीय नगर निकायों का विधायी कार्य है। इसलिए, स्थानीय नगर निकायों को शहरों/कस्बों के शहरी गरीबों से संबंधित सभी मामलों एवं कार्यक्रमों सहित कौशल एवं आजीविका हेतु अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना होगा।

२.५– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का ध्येय, कौशल विकास एवं ऋण सुविधाओं तक शहरी गरीबों की पहुँच को विस्तृत एवं सार्वभौमिक बनाना होगा। इसका प्रयत्न होगा कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से बाजार आधारित नौकरियों, स्वरोजगारों तथा पूंजी तक शहरी गरीबों की पहुंच को सुलभ बनाया जाये।

२.६– पथ विक्रेता, जनसंख्या शंकु के अधोभाग पर नगरीय जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण भाग का गठन करते हैं। पथ विक्रय स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराता है इस प्रकार ये सरकारी हस्तक्षेप के बिना शहरी गरीबी उपशमन का एक प्रमुख साधन है। ये शहरी आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक विकास प्रक्रिया का आवश्यक भाग होता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का ध्येय, वर्धित बाजार के अवसरों तक शहरी पथ विक्रेताओं की पहुंच को सुगम बनाने हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराना, संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा एंव कौशल उपलब्ध कराना होगा।

२.७– शहरों की निरंतरता बनाये रखने में अपने सस्ते श्रम के योगदान के बावजूद शहरी निराश्रित जोकि बिना किसी आश्रय और सामाजिक सुरक्षा के जीवन यापन करते हैं, सर्वाधिक संवेदनशील और असुरक्षित वर्ग हैं। सड़को पर जीवन यापन,निरंतर जोखिम भरा शारीरिक रूप से कठोर/क्रूर एवं चुनौतीपूर्ण परिवेश में जीवित रहना है। निराश्रित लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों यथा आश्रय, सामाजिक वासों और सामाजिक सुरक्षा आदि से निपटने के लिए एक उपयुक्त नीति की आवश्यकता है। तद्नुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एवं मूलभूत सेवाओं से परिपूर्ण आश्रय उपलब्ध कराना होगा।

२.८– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का सर्वाधिक बल, मंत्रालयों विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा बनायी गयी ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ अभिसरण होगा जिनका संबन्ध कौशल, आजीविका,उद्यमिता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सहयोग से हो। ग्रामीण एंव शहरी गरीबों की आजीविका के मध्य संबन्ध स्थापित करने हेतु ग्रामीण–शहरी प्रवासियों के कौशल पशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ गठबंधन की रणनीति अपनाई जायेगी।

२.९– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य (निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और निराश्रितों के आश्रयों के संचालन को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए प्रयत्न करना होगा कि निजी एंव नागरिक संस्थाएं शहरी निराश्रितों को आश्रय उपलब्ध कराने में तथा शहरी गरीबों के कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन में सक्रिय भागीदारी निभायें और उन शहरी गरीब उद्यमियों को जो स्वनियोजित होना चाहते हैं एवं अपना स्वयं का लघु उद्यम अथवा निर्माण इकाई स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें तकनीकी और विपणन संबन्धी करीबी सहायता प्रदान करें।

मूल्य–

२.१०– मिशन निम्नलिखित मूल्यों का समर्थन करेगा :

१. प्रत्येक चरण अथवा प्रक्रिया में शहरी गरीबों एंव उनकी संस्थाओं की स्वामित्वपूर्ण तथा उपयोगी सहभागिता।
२. योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन सहित संस्था निर्माण एवं क्षमता संवर्धन में पारदर्शिता।
३. सरकारी पदाधिकारियों एवं समुदायों की जवाबदेही।
४. उद्योगों एवं अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी।
५. सामुदायिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता और पारस्परिक सहयोग।

रणनीति–

२.११– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित रणनीति अपनायेगा :

१. सुदृढ़ सहयोग के माध्यम से शहरी गरीबों, उनकी संस्थाओं तथा आजीविका विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल तंत्र की क्षमता का संवर्धन।
२. शहरी गरीबों के मौजूदा आजीविका के विकल्पों का वर्धन एवं विस्तार।
३. उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़तें बाजार द्वारा उपलब्ध कराये गये रोजगार अवसरों तक पहुंच हेतु कौशल निर्माण।
४. शहरी गरीबों द्वारा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण एंव सहायता।

५. शहरी निराश्रित जनसंख्या हेतु चौबीसो घण्टे आधारभूत सुविधाओं युक्त जैसे कि जल आपूर्ति, अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था, सुरक्षा एवं संरक्षायुक्त आश्रयों की उपलब्धता एवं उपयोग की गारंटी।

६. शहरी निराश्रितों के विशिष्ट असुरक्षित वर्गो यथा आश्रित बच्चों, वृद्धि जनो, विकलांगों,विक्षिप्तों और रोगो से उभरते लोगों की जरूरतों को पूरा करने हेतु निराश्रित आश्रयों के अर्न्तगत ही विशेष भाग का निर्माण और उनके लिए विशिष्ट सेवाओं हेतु संपर्क साधनों/लिंक की व्यवस्था करना है।

७. अन्य कार्यक्रमो साथ ऐसे अधिकार आधारित सुदृढ़ संबन्ध स्थापित करना जिसके तहत शहरी गरीबों के भोजन,चिकित्सा,शिक्षा आदि अधिकारों की पूर्ति की जायेंगी, और ये सुनिश्चित किया जायेंगा कि उनकी पहुंच विभिन्न उपभोगो सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आई.सी.डी.एस. स्तनपान कार्यक्रमों,पेयजल अपशिष्ट निवारण पहचान पत्रों वित्तीय समावेशन, स्कूली दाखिलों औार सुलभ आवासों तक हो सके।

८. शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका से संबंधित बाधाओं के निराकरण हेतु पथ विक्रेताओं को उपयुक्त स्थान संस्थागत ऋण सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि उनकी पहुँच बढ़ते हुए बाजार से उत्पन्न अवसरों तक हो सके।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन– मिशन नगर और लक्षित जनसंख्या

३.१– १२वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन सभी जिला मुख्यालय शहरों और उन अन्य शहरों में किया जायेगा जिनकी जनसंख्या २०११ की जनगणना के अनुसार १,००,००० या उससे ऊपर है। विशेष परिस्थितियों में राज्य की संस्तुति पर अन्य शहरों को भी इसके तहत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

३.२– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य शहरी निराश्रितों सहित शहरी गरीब हैं। शहरी गरीबों की पहचान हेतु वर्तमान में जारी सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना २०११ अभी प्रगति पर है। तदनुसार, अन्तरिम पैमाने के रूप में, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा चिह्नित शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य लक्ष्य होगी। इस आच्छादन का विस्तार उपर्युक्त चिह्नित शहरी जनसंख्या के अधिकतम २५ प्रतिशत तक, विभिन्न वंचित-समूहों के परिवारों, यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगों आदि को, सम्मिलित करके किया जा सकेगा।

सामाजिक संगठन एंव संस्था विकास (SM&ID)

४.१– एक प्रभावशाली और स्थायी गरीबी उपशमन कार्यक्रम हेतु शहरी गरीब परिवारों को स्वनिर्मित संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रेरित किया जाना एक महत्वपूर्ण निवेश होगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी गरीबों के, स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के रूप में सार्वभौमिक सामाजिक संगठन पर जोर देता है। एक समयबद्ध सीमा के अर्न्तगत प्रत्येक शहरी गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को अधिमानतः महिला को स्वयं सहायता समूह तंत्र में शामिल किया जायेगा। ये समूह निर्धन लोगों की वित्तीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक साधन प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। सामान्यतः महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जायेगा तथापि विकलांग पुरूषों के स्वयं सहायता समूहों के निर्माण हेतु अनुमति दी जोंगी।

४.२– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगरीय जनसंख्या के विषमतामूलक एवं असुरक्षित वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यकों, महिलाआ पोषित परिवारों, विकलांगों बेसहारा, आश्रयहीनों, प्रवासी मजदूरों और विशेष रूप से वंचित व्यवसायिक वर्गों यथा पथ विक्रेताओं कूड़ा संग्राहकों, घरेलू कामगारों, भिखारियों एवं निर्माण श्रमिकों आदि के संगठन पर विशेष बल देगा।

४.३– स्लम/वार्ड स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर क्षेत्र स्तरीय संघो (ए. एल.एफ.) का निर्माण किया जायेगा। इन क्षेत्र स्तरीय संघों को नगर स्तर पर पुनः संघबद्ध करके नगर स्तरीय संघों (CLF) के रूप में संगठित किया जायेगा। (SJSRY) के तहत गठित वर्तमान संस्थाओं यथा पड़ोस समूह (एन.एच.जी.) सामुदायिक विकास संगठन (सी.डी.एस.) आदि को इस प्रक्रिया के तहत सहजता से स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकेगा। क्षेत्र स्तरीय और नगर स्तरीय संघ पंजीकृत अंग होंगे।

उपघटक– सामुदायिक संस्थाओं का निर्माणः स्वयं सहायता समूह और उनके संघ

४.४– स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के निर्माण के उत्प्रेरण तथा उनके सदस्यों के वित्तीय समावेशन को बढावा देने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत संसाधन संगठनों (ROs) को सम्बद्ध किया जायेगा जो स्वयं सहायता समूहों के निर्माण एंव उनके विकास और बैंक लिकों, क्षेत्रीय एवं नगर स्तर पर उनके संघों के निर्माण, प्रशिक्षण और

क्षमता संवर्धन हेतु सुविधाएं प्रदान करेंगें, साथ ही ये स्थानीय नगर निकायों के साथ संबंध स्थापित कर सामाजिक, व्यावसायिक एवं आवासीय विषमताओं को कम करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

४.५– संसाधन संगठनों के रूप में उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्वायत्तशासी पंजीकृत एजेंसियों के रूप में गठित किया गया हो अथवा सुस्थापित, दीर्घकालीक स्वयं सहायता समूहों के ऐसे संघ जिन्हें वृह्द स्तर पर समुदायचालित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का विशेष अनुभव प्राप्त हो, और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संगठन और संस्था निर्माण की सफल रणनीति के क्रियान्वयन का अनुभव प्राप्त हो।

४.६– इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों को भी संसाधन संगठनों के रूप में चुना जा सकेगा, जिसके कठोर मानकों के अर्न्तगत संस्था के पंजीकरण की हैसियत, टर्नओवर, अनुभव वर्षों, सुदृढ़ अधिप्राप्तियों, वित्तीय प्रबंधन क्षमता, समर्पित विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं की संख्या, कार्यज्ञान, निर्धन परिवारों के सामाजिक संगठनों का पूर्व अनुभव, सामुदायिक संगठनों का प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन, आजीविका वर्धन और बैंक सम्पर्कों की संवीक्षा की जायेगी।

४.७– प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के निर्माण, द्विवार्षिक सहायता, सभी सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक सम्पर्कों, संघों के निर्माण एवं अन्य गतिविधियों के लिए अधिकतम १०,०००/ रू तक खर्च किये जा सकेंगे। राज्यों से ये आशा की गई है कि वे संसाधन संगठनों के साथ समझौते के तहत कार्य करेंगे और आवर्ती कोष सहित खर्चों का भुगतान निम्नलिखित मानकों यथा स्वयं सहायता समूह निर्माण, सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक सम्पर्कों, क्षेत्रीय एवं नगर स्तर पर संघों के निर्माण और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उपलब्ध लाभों तक पहुंच आदि, के आधार पर किया जायेगा। संसाधन संगठन स्वयं सहायता समूहों को दो वर्षो तक सहयोग व सहायता प्रदान करेंगे।

४.८– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं में सामुदायिक स्तर पर कार्यरत सेवकों/प्राधिकारियों और आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सेवाएं भी जमीनी स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को स्थापित करने के लिए ली जा सकेंगी।

उपघटक – सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन

४.९– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य, शहरी गरीबों एवं उनकी संस्थाओं के सामान्य बचत खाते खुलवाकर, वित्तीय साक्षरता, ऋण, सस्ती एवं सुलभ बीमा योजनायें,

विप्रेषण/धन अदायगी सुविधाएं आदि उपलब्ध करवाकर सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन को प्राप्त करना है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर शहरी गरीबों के लाभ हेतु सूचना,संचार और प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकी, वित्त परामर्शदाताओं तथा सामुदायिक सेवा प्रदाताओं यथा बैंक मित्र और बीमा मित्र के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत विशेष तौर पर शहरी गरीब परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना,एवं इनके सदृश्य योजनाओं के अर्न्तगत लाने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

उपघटक – स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों को आवर्ती निधि सहयोग

४.१०– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्रयत्न होगा कि बचत एंव साख कार्यात्मक साक्षरता और बुनियादी कौशल प्रशिक्षण स्वयं सहायता समूहों के कार्य कलापों के मुख्य त्रयी बन सकें। इसके तहत ७० प्रतिशत से अधिक शहरी गरीब सदस्यों वाले उन स्वयं सहायता समूहों को १०,०००/ रु तक की एकल सहायता आवर्ती कोष के माध्यम से प्रदान की जायेगी जिन्होंने पूर्व में इस मदद को उपयोग न किया हो। आवर्ती निधि केवल उन्हीं स्वयं सहायता समूहों को दी जायेगी जो कम से कम पिछले छः माह से बचत एवं साख आधारित गतिविधियों को संचालित कर रहे होंगे।

४.११– पंजीकृत क्षेत्र स्तरीय संघों को इनके कार्यकलापों की निरंतरता बनाये रखने हेतु इस आवर्ती कोष से रु ५०,०००/ तक की सहायता उपलब्ध होगी।

उपघटक – नगर आजीविका केन्द्र (CLC)

४.१२– नगर आजीविका केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य शहरी गरीबों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां से वे अपनी सेवाओं का प्रचार कर सकें, सूचनाएं एवं अन्य लाभों की प्राप्ति कर सकें। नगर आजीविका केन्द्र उन लोगों के लिए वन स्टॉप शाप (समग्र सेवा केन्द्र) का कार्य करेंगे जो अनौपचारिक क्षेत्रों की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये केन्द्र शहरी गरीबों के उत्पादों एवं सेवाओं के प्रचार माध्यम भी होंगे।

४.१३– नगर आजीविका केन्द्र उन लोगों के लिए संसाधन केन्द्रों का भी कार्य करेंगे जो रोजगार एंव कौशल प्रशिक्षण अवसरों आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहता हैं। ये केन्द्र गरीबों को बाजार मांग संबंधी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नियोजन अवसरों से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। आजीविका केन्द्र उन लोगों को आवश्यक निर्देशन,परामर्श एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेंगे जो कौशल प्रशिक्षण, वैतनिक रोजगार, अथवा स्थायी स्वरोजगारी उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।

४.१४– नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु स्वीकार्य मानक निम्नलिखित होंगेः–

नगर जनसंखा	अधिकतम आजीविका केन्द्रों की संख्या
१–३ लाख के मध्य	१
३–५ लाख के मध्य	२
५–१० लाख के मध्य	३
१० लाख से अधिक	८
१ लाख से कम जनसंख्या वाले जिला मुख्यालय शहर	१

४.१५– प्रत्येक आजीविका केन्द्र को १० लाख रूपये तक का एकल अनुदान, प्राप्त उपलब्धियों के अनुरूप किस्तों में प्रदान किया जायेगा। इस राशि का उपयोग संग्रह कोष/कॉरपस फण्ड, बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाओं और उपकरणों जैसे कि कम्प्यूटर, उत्पाद प्रदर्शन स्थलों, फर्नीचर, किराये (जहाँ पर भवन उपलब्ध नहीं हैं) टेलीफोन, एंव अन्य परिचालन संबंधी व्ययों, आनुबंधिक कर्मचारी सहयोग आदि हेतु किया जा सकेगा। इन केन्द्रों का संचालन राजस्व सृजन एंव आत्मनिर्भरता के आदर्श पर किया जायेगा। राज्य/स्थानीय नगर निकाय अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा इन केन्द्रों को अतिरिक्त सहायता दिये जाने पर विचार कर सकेंगे।

४.१६– इन केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन सार्वजनिक निजी सामुदायिक भागीदारी आधारित एजेन्सियों यथा नगर स्तरीय संघों/स्वयं सहायता समूहों/गैर सरकारी संगठनों/ सामुदायिक संगठनों/ संसाधन केन्द्रों/ निजी क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से किया जायेगा।

उपघटक – स्वयं सहायता समूहों और उनके संघो हेतु प्रशिक्षण एंव अन्य क्षमता संवर्धन कार्यक्रम

४.१७– इस घटक का उपयोग, स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघो को, विभिन्न तथ्यों जैसे कि बैंक सम्पर्कों, दस्तावेजों और लेखा बही खातों के प्रबंधन, सूक्ष्म योजनाओं, सूक्ष्म निवेश प्रक्रिया, सदस्यों की भूमिका और दायित्वों आदि से संबधित समस्याओं पर प्रशिक्षण देने एवं क्षमता संवर्धन हेतु किया जायेगा, इस घटक का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय अथवा नगर स्तरीय संसाधन केन्द्रों के साथ–साथ नागरिक सामाजिक संगठनों और विभिन्न मिशन प्रबंधन इकाईयों के माध्यम से किया जायेगा।

४.१८– क्षेत्र एंव नगर स्तरीय संघों के सदस्यों की क्षमता संवर्धन तथा प्रशिक्षण हेतु केन्द्र/राज्य नगर स्तर पर प्रति प्रशिक्षु खर्च की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि ७५०० रूपये होगी। इस राशि के कुछ भाग का उपयोग समुदाय से समुदाय आधारित शिक्षण हेतु तथा स्वयं सहायता समूहों तथा उनके संघों और कार्यक्रमों से संबंधित लोगों के शैक्षिक भ्रमण के लिए भी किया जा सकेगा।

क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (CB&T)

५.१– क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और राज्य एजेन्सियों की भूमिका को शहरी गरीबी उपशमन के परिप्रेक्ष में उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीकी सहायता प्रदाता के रूप में परिवर्तित करना है ताकि वे शहरी आजीविका के वर्धन और शहरी गरीबों के उपशमन में सहायता प्रदान कर सकें।

उपघटक :– राष्ट्रीय, राज्य और नगर स्तर पर तकनीकी सहायता

५.२– इस उपघटक का उद्देश्य केन्द्र, राज्य एवं नगर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु समय पर उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीकी सहायता का प्रबंध करना है।

५.३– केन्द्र में एक राष्ट्रीय प्रबंधन इकाई (NMMU) की स्थापना की जायेगी जिसके तहत राज्यों तथा शहरों को राज्य मिशन प्रबंधन इकाई और नगर मिशन प्रबंधन इकाई की स्थापना हेतु उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर, आजीविका एवं योजना प्रबंधक, विकासमान सक्षम संस्थानिक प्रणाली यथा मानव संसाधन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS), वित्त प्रबंधन, अधिप्राप्तियाँ और सामाजिक प्रबंधन आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्यों एवं नगरों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराया जायेगी ताकि वे विशिष्ट विश्लेषण के व्दारा नगरीय गरीबी के विभिन्न आयामों को समझ सकें। इससे राज्यों को राज्य/नगरीय गरीबी उपशमन रणनीति/कार्ययोजना बनाते समय उनके मध्यवर्तन और संसाधनों के निर्धारण हेतु प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी। राज्यों/नगरों/कस्बों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु प्रत्येक स्तर पर योजना विशिष्ट के अनुरूप विशिष्ट तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन केन्द्रीय स्तर पर मिशन निदेशालय को किया जायेगा और राज्य मिशन प्रबंध इकाईयों SMMU तथा नगर प्रबंधन इकाईयों CMMU हेतु आवंटन राज्य मिशन को किया जायेगा।

५.४– मिशन प्रबंध इकाईयों की स्थापना केन्द्र एवं राज्यों में की जायेगी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मिशन शहरों हेतु निन्नलिखित समर्पित तकनीकी सहायक होंगे।

मिशन प्रबंध इकाई	प्रति इकाई तकनीकी सहायकों की संख्या
राष्ट्रीय मिशन प्रबंध इकाई	१०
राज्य मिशन प्रबंध इकाई	६
राज्य मिशन प्रबंध इकाई	४
नगर मिशन प्रबंध इकाई १ लाख से कम जनसंख्या वाले जिला मुख्यालय शहर	२
नगर मिशन प्रबंध इकाई	३
नगर मिशन प्रबंध इकाई	४
सामुदायिक संगठनार्त्ता	प्रति ३००० परिवारों पर एक सामुदायिक संगठनार्त्ता

बड़े और छोटे राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची संलग्नक में उपलब्ध है।

५.५– राज्य मिशन प्रबंधन इकाई और नगर प्रबंधन इकाईयों हेतु सहायता राशि केवल पांच वर्षों के लिए ही उपलबध होगी। ये उम्मीद की जा रही है कि इन वर्षों के दौरान ही राज्य अपने ही नगर निकायों के ऐसे कैडर/संवर्ग बना लेंगे जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और अन्य शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं के स्थाई क्रियान्वयन में सक्षम होंगे।

उपघटक – मिशन प्रबंधन इकाईयों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता संवर्धन कार्यक्रम

५.६– इस घटक का उपयोग राष्ट्रीय राज्य और नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाईयों के तकनीकी संसाधक व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन हेतु किया जायेगा। घटक का क्रियान्वयन राष्ट्रीय, राज्य और नगर संसाधन केन्द्रों/एजेन्सियों सहित नागरिक सामाजिक संगठनों और मिशन प्रबंधन इकाईयों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। केन्द्र/राज्य/नगर स्तर पर क्षमता संबर्धन एवं प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षु अधिकतम व्यय की जा सकने वाली राशि ७५०० रूपये होगी। इस राशि के कुछ भाग का उपयोग समुदाय से समुदाय आधारित शिक्षण हेतु और मिशन प्रबंधन इकाईयों तथा कार्यक्रम से संबंधित व्यक्तियों के कौशल/ज्ञानवर्धन भ्रमण हेतु किया जा सकेगा। दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण देने के लिए संसाधन केन्द्रों/संस्थाओं/एजेन्सियों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

कौशल प्रशिक्षण एंव नियोजन के माध्यम से रोजगार(EST&P)

६.१– यह घटक मुख्यतः शहरी गरीबों के कौशल उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा ताकि वे स्वरोजगार एवं वैतनिक रोजगारों हेतु अपनी क्षमता का विस्तार कर सकें। कौशल प्रशिक्षण एंव नियोजन के माध्यम से रोजगार की मंशा, शहरी गरीबों को बाजारजनित कौशल की मांगानुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है ताकि वे अपने लिए स्वरोजगारी उद्यम स्थापित कर सकें और स्थायी वैतनिक रोजगार पा सकें। कौशल प्रशिक्षण एंव नियोजन के माध्यम से रोजगार ये घटक मुख्यतः ऐसे शहरी गरीबों को लक्षित करेगा जो व्यावसायिक विषमताओं के शिकार हैं। इसके लिए लाभार्थियों की कोई अधिकतम या न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इसके अर्न्तगत लाभार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत ३० से कम नहीं होना चाहिए। शहरी गरीबों की आबादी में अपनी संख्या के अनुपात में ही अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित किया जायेगा। विकलांग/अन्य रूप के सक्षम वर्ग के लिए अलग से ३ प्रतिशत के आरक्षण का विशेष प्रावधान किया जायेगा। प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बंधी १५ सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही इसके तहत कम से कम १५ प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय हेतु निर्धारित किये गये हैं। इन सबके अतिरिक्त इसके अर्न्तगत भिखारियों, कूड़ा संग्राहकों, निर्माण मजदूरों बेसहारा, आश्रयहीनों आदि जैसे विषमतामूलक वंचित वर्गों के कौशल उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

६.२– कौशल प्रशिक्षण को मान्यता एवं प्रमाणन से संबद्ध किया जायेगा जो विशेषतः सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) प्रक्रिया पर आधारित होगा। इसके लिए प्रतिष्ठित संस्थानों यथा आई.आई.टी.पालीटेक्निक, एन.आई.टी. उद्योग संघ, इंजीनियरिंग कालेजों, प्रबंधन संस्थानों, कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों एन.एस.डी.सी. एवं अन्य नामचीन प्रतिष्ठित सरकारी, निजी अथवा नागरिक संस्थाओं का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उनकी ब्राण्ड छवि प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा।

६.३– इसके अर्न्तगत प्रति प्रशिक्षु/लाभार्थी लागत १५००० रूपये से अधिक नहीं होगी। (उ०पू० राज्यों तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों हेतु १८००० रूपये) जिसमें प्रशिक्षण लागत, प्रशिक्षु प्रोत्साहन, चयन, परामर्श, सामग्री, प्रशिक्षक भत्ता, प्रमाणीकरण, टूलकिट और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यय किये गये अतिरिक्त खर्चों सहित लघु/सूक्ष्म उद्यम विकास/नियोजन संबंधी व्यय भी शामिल होंगे। यदि प्रशिक्षण लागत इस योजना के तहत निर्धारित प्रति प्रशिक्षु लागत से अधिक होगी तो उस अतिरिक्त व्यय को राज्य सरकार अथवा लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

६.४– इस भुगतान के एक अंश का उपयोग सूक्ष्म उद्यम की स्थापना और कम से कम छः मास तक उसके संतोषजनक प्रदर्शन करने वालों अथवा नियोजित रोजगार में कम से कम छः मास तक बने रहने वालों के लिये किया जायेगा।

६.५– कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठन/एजेन्सियों को लाभार्थियों की पहचान, परामर्श, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण एवं नियोजन हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों, प्रमाणीकरण संस्थानों, उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों सहित स्थानीय नगर निकायों के अन्तर्गत कार्यरत नगर आजीविका केन्द्रों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कौशल प्रशिक्षण प्रदाताआ (STPs) कम से कम ५० प्रतिशत लाभार्थियों के लाभकारी/आयिक रोजगार नियोजन हेतु उत्तरदायी होंगे या जैसा कि राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण निश्चित करे।

६.६– स्थानीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप आवश्यक कौशलों का निर्धारण करेंगे। गहन तकनीकी कौशल प्रशिक्षण के अलावा इस कार्यक्रम के अर्न्तगत ही व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा, जिसके तहत अंग्रेजी/राष्ट्रीय/राजकीय भाषाओं के बोलचाल, वित्तीय साक्षरता, कम्प्यूटर साक्षरता, जीवन/व्यावहारिक कौशल यथा कार्यलयी और सामाजिक शिष्टाचार का प्रशिक्षण भी शामिल है। राज्यों द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करते समय इस संबंध में उपयुक्त ब्यौरे प्रदर्शित करने चाहिये।

६.७– प्रशिक्षण के भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कालावधि सहित नियोजन/प्रमाणीकरण हेतु व्यय के संबंध में संबंधित केन्द्रीय/राज्य/नगर स्तरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत जारी दिशा निर्देशानुसार कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP)

उपघटक – स्वरोजगार– एकल एवं समूह उद्यम

७.१– यह घटक मुख्य रूप से शहरी गरीबों के एकल/समूह द्वारा स्थापित किये जाने वाले ऐसे लाभकारी उपक्रमों/सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो उनके कौशलों, प्रशिक्षण, रूझान तथा स्थानीय परिवेश के अनुकूल हों। इसके अर्न्तगत न्यून कामगारों और बेरोजगार गरीबों को, ऐसे लघु उद्यम लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा जिनका संबंध स्थानीय मांगानुरूप उत्पादनों, सेवाओं और छोटे व्यवसायों से हो। स्थानीय कौशल एवं स्थानीय शिल्प को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जायेगा। प्रत्येक शहर/कस्बा अपनी गतिविधियों/योजनाओं को ध्यान में रखते हुये उपलब्ध कौशलों, उत्पादों की विक्रयता, लागत, आर्थिक व्यवहार्यता आदि से सम्बंधित सूचनाओं का विस्तृत विवरण तैयार करेगा। लाभार्थियों के चयन हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम में किसी प्रकार की अधिकतम या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं निर्धारित की गई है। स्वरोजगार कार्यक्रमों के अर्न्तगत महिला लाभार्थीयों की संख्या कम से कम ३० प्रतिशत अवश्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को शहरी गरीब जनसंख्या में उनकी संख्या के अनुपातानुसार ही लाभान्वित किया जायेगा। योजना के अर्न्तगत विकलांग/अन्य रूप से सक्षम लोगों के लिए ३ प्रतिशत के विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी १५ सूत्री कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए इस घटक के अर्न्तगत कम से कम १५ प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय हेतु निर्धारित किये गये हैं।

७.२– इस घटक के अन्तर्गत एकल तथा समूह दोनों ही प्रकार के लघु उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजनाओं की अधिकतम लागत एकल उद्यमों के लिए २ लाख रूपये तक तथा समूह उद्यमों हेतु १० लाख रूपये तक होगी। एकल तथा समूह दोनों को ही बैंको से ऋण दिलवाया जायेगा और बेहतर होगा कि ऐसे समस्त ऋण आवेदनों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा अनुशंसित किया जाये ।

७.३– एकल अथवा समूह उद्यमों की स्थापना हेतु ब्याज सब्सिडी/अनुदान ऐसे सभी बैंक ऋणों पर उपलब्ध होगी जिनकी ब्याज दर ७ प्रतिशत से अधिक होगी। लघु उद्यम की परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य समानांतर प्रतिभूति की आवश्यकता नही होगी।

उपघटक – स्वयं सहायता समूह– बैंक लिंकेज/सम्पर्क सूत्र

७.४– समस्त स्वयं सहायता समूहों को, जो बैंकों से ऋण लेंगे ७ प्रतिशत से अधिक ब्याज वाले ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी। सभी शहरों में ३ प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी उन सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जायेगी जो अपने ऋण की अदायगी समय से करेंगे।

७.५– ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों द्वारा ऋण की समय से अदायगी के विषयाधीन होगी। इस सम्बन्ध में बैंकों से उपयुक्त प्रमाण लिये जायेंगे। लागू ब्याज दरों एवं ७ प्रतिशत की निर्धारित मानक दरों के अंतर को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत सीधे बैंकों को सब्सिडी के रूप मे उपलब्ध कराया जायेगा।

उपघटक – उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड

७.६– इस घटक के तहत ये प्रयत्न किये जायेंगे कि प्रत्येक लाभार्थी को कार्यशील पूंजी एवं अन्य प्रयोजनों हेतु क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो।

उपघटक – प्रौद्योगिकी विपणन एवं अन्य सहयोग

७.७– उघु उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थियों को राज्य/शहरों द्वारा, लागत अधिप्राप्तियों, उत्पादन, पैकेजिंग ब्राडिंग/छवि निर्माण, मार्केटिंग आदि से सम्बंधित प्रौद्योगिकी तथा विपणन परामर्श एवं अन्य सहयोग भी उपलब्ध कराये जायेंगे। इसी के तहत गरीब पथ विक्रेताओं के लिये, जहॉ एक तरफ नगर निकाय के मैदानों या सड़कों के किनारे कियोस्क, रेहड़ी बाजारों, साप्ताहिक बाजारों/मेला बाजारों, संध्या बाजारों हेतु विक्रय स्थल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी वहीं दूसरी तरफ उन्हें बाजार संभाव्यता सर्वेक्षण, लागत अधिप्राप्तियों, संयुक्त ब्राडिंग, विज्ञापन एवं विपणन आदि से संबंधित तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता

८.१– इस घटक का ध्येय पथ विक्रेताओं के कौशल एवं लघु उद्यम विकास में सहयोग तथा ऋण उपलब्धता और नगर नियोजन सहित विषमतापरक समूहों यथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों को सहयोगी सामाजिक सुरक्षा के विकल्प उपलब्ध कराना होगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की कुल बजट राशि का लगभग ५ प्रतिशत हिस्सा इस घटक पर खर्च किया जायेगा।

उपघटक – विक्रय–कृते नगर नियोजन

८.२– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत राज्य तथा शहरों द्वारा पंजीकृत एवं अपंजीकृत पथ विक्रेताओं के संबंध में क्रमिक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जायेगा और पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किये जायेंगे। प्रत्येक शहर में पथ विक्रेताओं के आंकड़ों का संग्रह/डाटाबेस तैयार एवं अनुरक्षित किया जायेगा। ये राज्यों/स्थानीय नगरीय निकायों को विक्रय कृते नगर नियोजन करने और पथ विक्रय के लिए जगह उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनायेगा।

उपघटक– पथ विक्रेताओं के कौशल विकास तथा लघु उद्यम विकास हेतु सहयोग

८.३– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत नगरीय क्षेत्रों में गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर पथ विक्रेता एन.यू.एल.एम. के घटक, कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) कार्यक्रम के अर्न्तगत लघु उद्यम विकास हेतु सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

उपघटक – पथ विक्रेताओं की साख सामर्थ्यता

८.४– पथ विक्रेताओं को सामान्य बैकिंग सेवाओं के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का अतिरिक्त प्रयास किया जायेगा ताकि पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी व अन्य प्रयोजनों हेतु धन उपलब्ध हो सके।

उपघटक – फेरी बाजारों/वेन्डर्स मार्केट का विकास

८.५– फेरी बाजारों/वेन्डिंग क्षेत्रों/अनौपचारिक बाजारों का विकास, नगरीय वेन्डिंग योजना के अनुरूप मूलभूत अवस्थापनाओं/नागरिक सुविधाओं यथा फर्शबंदी, जलापूर्ति अपशिष्ट निस्तारण, प्रकाश, भण्डारण स्थान, पार्किंग सुविधा आदि सहित किया जायेगा।

उपघटक – सामाजिक सुरक्षा का अभिसरण

८.६– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पथ विक्रेताओं की पहुँच, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं (यथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना), राज्य स्तरीय और नगर स्तरीय सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहयोग की योजनाओं तक बनाकर उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध कराना है ।

वित्त वितरण और वित्तीय प्रक्रिया

६.१– मिशन हेतु वित्तीय आवंटन में केन्द्र तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मध्य निम्नलिखित रूप से हिस्सेदारी की जायेगी–

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	केन्द्रीय भाग का प्रतिशत	राज्य अंश का प्रतिशत
१	उ० पू० एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्य	९०	१०
२	अन्य सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश	७५	२५

६.२– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मध्य केन्द्रीय भाग का आवंटन अन्तरिम रूप से उनकी शहरी गरीब जनसंख्या के घटते क्रम में किया जायेगा तथापि अवशोषण क्षमता (गरीबी उपशमन योजनाओं के तहत कोष के उपयोग के पूर्व चलन पर आधारित) और विशेष अपेक्षाओं/आवश्यक्ताओं को भी, कार्यकाल के दौरान राज्यों द्वारा भेजी गई राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये विचारित किया जायेगा।

६.३– मिशन निदेशालय द्वारा सम्पूर्ण भारत हेतु निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर ही अन्तरिम तौर पर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के वार्षिक भौतिक लक्ष्य तय कर दिये जायेंगे। इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप ही राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की प्रगति की निगरानी की जायेगी।

६.४– राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के केन्द्रीय अंश का निर्गम दो किस्तों में सीधे राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयों के खातों में किया जायेगा। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्र द्वारा द्वितीय किस्त का आवंटन तभी होगा जबकि वे निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हुए सामान्य वित्तीय नियमों के अनुरूप उपयोग प्रमाण पत्र/यू.सी. जमा करने के साथ-साथ पूर्व आवंटित केन्द्रीय राशि के सापेक्ष अपने अंश को अवमुक्त कर चुकें होंगे। राज्यों के अंशदान को छोड़कर बचे हुए समस्त धन को राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (SMMU) द्वारा नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों (CMMUs) को उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों अथवा प्राप्त परियोजनाओं के अनुरूप ही अवमुक्त कर दिया जायेगा।

६.५– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत अवमुक्त किये गये धन की सामयिक समीक्षा की जायेगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अर्न्तगत धन के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्रीय अनुपयोगी धन, जोकि राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा न करने के कारण अवमुक्त न किया जा सका हो, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को चालू वर्ष की चौथी तिमाही में उनकी संपादन क्षमता एवं अतिरिक्त धन की मांग को ध्यान में रखते हुए आवंटित किया जा सकेगा।

६.६– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन निदेशालय द्वारा समय-समय पर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्रीय अंश के आवंटन का घटकदार सांकेतिक ब्यौरा दिया जायेगा ताकि एन.यू.एल.एम. के सभी घटकों की संतुलित व्याप्ति सुनिश्चित हो सके और उपलब्ध धन का बेहतर उपयोग किया जा सके। राज्यों को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वे एन.यू.एल.एम.के मिशन निदेशालय तथा हूपा मंत्रालय की अनुमति से
अपनी जरूरतों के अनुसार योजना के घटकों के मध्य धन का अंतर-समायोजन कर सकें।

शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना (SUH)

१०.१– इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शहरी समाज के निर्धनतम वर्ग को मूलभूत सुविधाओं/सेवाओं युक्त आश्रय उपलब्ध कराना है। ये आश्रय, शहरी निराश्रितों के लिए स्थायी तौर पर हर मौसम में चौबीसों घण्टे उपलब्ध होंगे। प्रत्येक एक लाख की शहरी आबादी पर ये व्यवस्था की जायेगी कि कम से कम १०० लोगों वाले स्थायी सामुदायिक आश्रय अवश्य उपलब्ध हों। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक आश्रय स्थल ५० से १०० लोगों की आवश्यकता पूर्ति करेगा ।

१०.२– २०११ की जनगणनानुसार १० लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों को और भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा चिन्हित सामाजिक, ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट या पर्यटन स्थलों को इसके अर्न्तगत प्राथमिकता दी जायेगी।

१०.३– प्रत्येक आश्रय स्थल के नियोजन के तहत प्रति व्यक्ति न्यूनतम ५० वर्गफुट या ४.६४५ वर्ग मीटर या लगभग ५ वर्ग मीटर स्थान की व्यवस्था की जायेगी।

१०.४– आश्रय स्थलों में सम्मानजनक मानव वास हेतु मूलभूत सुविधाओं जैसा कि पेयजल, सफाई व्यवस्था, बिजली, रसोईघर, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, की व्यवस्था आवश्य होनी चाहिए। ये भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन आश्रयों का सम्पर्क निकटतम आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों शिशु कल्याण सुविधा केन्द्रों, तथा अन्य सामाजिक सहयोग योजनाओं आदि से आवश्यक हो।

अधिकारों से संहति/सम्पर्क

१०.५– आश्रय स्थल सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न अधिकारों, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा प्रणाली आदि के अभिसरण एवं उपभोग के स्थल होने चाहिये। समस्त निराश्रितों का आश्रय स्थल में विभिन्न योजनाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिये क्योंकि निराश्रित लोग निवास एवं जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में बहुत सी मूलभूत सेवाओं के उपभोग से वंचित रह जाते हैं।

शरणालयों की अवस्थिति–

१०.६– जहॉ तक व्यवहार्य हो आश्रय स्थलों का निर्माण निराश्रित सघनता वाले क्षेत्रों एवं कार्य स्थलों के समीप किया जाना चाहिए। इनकी अवस्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां

सामान्यतः निर्धनतम लोग एकत्र होते हों जैसे की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड/डिपो, थोक बाजार व मण्डियॉं आदि। सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, औद्योगिक एंव मनोरंजन स्थलों में ऐसे शरणालयों के निर्माण हेतु अनुमति के लिये नगर विकास योजना निरूपण एंव क्रियान्वयन (UDPFI) के दिशा निर्देशों तथा मास्टर प्लान/महायोजना में उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिए।

शरणालयों/आश्रय स्थलों की रूपरेखा/डिजाईन

१०.७– जहॉ कहीं भी मौजूदा अवस्थापना/सार्वजनिक भवन का उपयोग इस हेतु किया जा रहा हो, उसमें सेवाओं तथा स्थान की आवश्यकतानुसार,नवीकरण तथा संवर्धन किया जाना चाहिए। स्थायी शरणालयों का निर्माण कंक्रीट अथवा टिकाऊ और सर्व ऋतुरक्षित वैकल्पिक विन्यासों/सामग्री से किया जाना चाहिए। राज्य सरकारें अल्प लागत और ऊर्जाक्षम भवनों के निर्माण हेतु अभिनव डिजाइनों/रूपरेखा को अपनाये जाने को प्रोत्साहित करेंगी।

१०.८– प्रत्येक कार्यदायी संस्था एक आश्रय प्रबंधन समिति गठित करेगी। जिसके प्रभारी/केयरटेकर और नामित सदस्यों का चयन शरणालय में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना बेहतर होगा। यही आश्रय प्रबंधन समिति दैनिक प्रबंध, अनुरक्षण, साफ–सफाई एवं अनुशासन आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

१०.९– प्रत्येक शरणालय का प्रबंध एक पूर्णकालिक स्टॉफ/टीम द्वारा किया जायेगा जिसमें एक फील्ड ऑफीसर (संयोजक,सुचारू संचालन निरीक्षण सरकारी इन्टरफेस/अन्तराफलक) एक गृह प्रबंधक (रसोई घर प्रबंधक,अभिलेख अनुरक्षण, विवाद समाधान आदि) एक शरणालय वासियों का प्रभारी/केयरटेकर और एक चौकीदार होगा। ये स्टाफ सरकारी भी हो सकता है और नहीं भी, और इन्हें शरणालय चला रही/संचालित करने वाली एजेन्सियों/संगठनों से भी चुना जा सकता है।

१०.१०– गरीबों के लिए उचित मूल्यपर स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार की एजेन्सियों अथवा निजी एजेन्सियों के माध्यम से सामुदायिक किचन का संचालन किया जायेगा। इसमें लाभार्थियों के स्वैच्छिक सहयोग को बढ़ावा/प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि उनमें स्वामित्व की भावना उपजे।

SUH के लिए वित्त आवंटन का तरीका/पैटर्न

१०.११– शरणालयों के निर्माण हेतु लागत का ७५ प्रतिशत भारत सरकार देगी तथा शेष २५ प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के सन्दर्भ में (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड) ये अनुपात ९०:१० का होगा। अपने अंशदान के रूप में शरणालयों हेतु भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का दायित्व होगा।

१०.१२– शरणालयों के संचालन एंव अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार सभी राज्यों के प्रत्येक शरणालय को ५ वर्षों तक उनकी स्थित के अनुरूप संचालन एवं अनुरक्षण लागत का ७५ से ९० प्रतिशत तक प्रदान करेगी।

१०.१३– लाभार्थियों में प्रतिबद्धता/जिम्मेदारी का भाव पैदा करने हेतु नाममात्र किराये के रूप में शहरी निराश्रितों से उनकी आयनुसार आय का १/१० या १/२० भाग एकत्रित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग सुविधाओं के अनुरक्षण में किया जायेगा। जो लोग किराया अदायगी में सक्षम नहीं होंगे उन्हें इससे पूर्णतः छूट प्रदान की जायेगी।

अभिनव एंव विशेष परियोजनाएं

११.१– ये घटक नवीन/अभिनव परियोजनाओं के रूप में किये जाने वाले नवारम्भ को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके अर्न्तगत ऐसे प्रयत्न होंगे जो अपनी प्रकृति में अग्रणी, सार्वजनिक निजी सामुदायिक भागीदारी (पी.पी.सी.पी.) के माध्यम से शहरी आजीविका के स्थायी दृष्टिकोण को उत्प्रेरित करने वाले हों और शहरी गरीबी पर आपेक्षित प्रभाव डालने वाली सुनिश्चित तकनीकी का प्रदर्शन करते हों। ये परियोजनाएं संधारणीय एवं दीर्घकालिक आजीविका अवसरों का सृजन करने वाली रणनीति का प्रदर्शन करने वाली होनी चाहिए और शहरी गरीबों के संगठनों को आच्छादित करने वाली, अभिनव कौशल विकास कार्यक्रम का निरूपण एंव क्रियान्वयन करने वाली, तकनीकी, विपणन क्षमता संवर्द्धन आदि से संबंधित अथवा इनके संयोजन वाली अवश्य होनी चाहिये। अभिनव/विशेष परियोजनाओं का संचालन, सामुदायिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, अर्द्ध सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों औद्योगिक संघों, सरकारी विभागों/एजेन्सियों, स्थानीय नगर निकायों, राष्ट्रीय/राज्य/नगर संसाधन केन्द्रों या अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी के आधारपर किया जायेगा।

११.२– इस घटक के लिए कुल केन्द्रीय निधि के ५ प्रतिशत अंश का उपयोग किया जायेगा। ये घटक पूर्णतः केन्द्र शासित होगा और इसके लिए किसी प्रकार के राजकीय अंश की आवश्यकता नहीं होगी। NULM के किसी भी घटक को आच्छादित करने के प्रस्तावों वाली विशेष परियोजनाओं का क्रियान्वयन सीधे राष्ट्रीय मिशन निदेशालय (NMD) द्वारा किया जायेगा।

प्रशासन एंव अन्य व्यय

१२.१– एन.यू.एल.एम. के तहत आधरित कुल धन के २ प्रतिशत का उपयोग केन्द्रीय/राज्य/नगर स्तर पर प्रशासनिक एवं अन्य व्ययों हेतु किया जायेगा, जिसमें निगरानी, विकास और अभिलेखों के अनुरक्षण एम.आई.एस. ई-ट्रैकिंग,मूल्यांकन तथा अन्य गतिविधियों के व्यय शामिल होंगे।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)

१२.२– एन.यू.एल.एम. के तहत आवंटन के ३ प्रतिशत का उपयोग केन्द्रीय/राज्य/नगर स्तर पर आइ.ई.सी. सूचना, शिक्षा और संचार के प्रयोजन हेतु किया जायेंगा।

एन.यू.एल.एम. का प्रशासन और मिशन संरचना

१३.१– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की एक त्रिस्तरीय अन्योनाश्रित संरचना होगी। संरचना के शीर्ष पर भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र संस्था के रूप में राष्ट्रीय मिशन प्रबंध इकाई होगी जिसका कार्यभार एक मिशन निदेशक के पास होगा जो कि सीधे सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन के प्रति उत्तरदायी होगा। जब तक ऐसी स्वतंत्र संस्था निर्मित नहीं हो जाती तब तक एन. यू.एल.एम. समर्पित कार्यकर्ताओं वाले ढ़ाँचे के सहयोग से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के एक कार्यक्रम के रूप में संचालित होगा। राज्य स्तर पर एक राज्य मिशन प्रबंधन इकाई होगी। जो एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करेगी जिसका कार्यभार मिशन निदेशक के पास होगा और जो सचिवालय के नगर पालिका से सम्बंधित विभाग को सूचित करेगा जो कि आजीविका वृद्वि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है। नगर स्तर पर प्रत्येक एन.यू.एल.एम. शहर में एक नगर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा जो कि पूर्णतः राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के निर्देशन में कार्य करेगी।

१३.२– केन्द्र राज्य तथा नगर स्तर पर तकनीकी सलाहकार समूहों(TAG) का गठन किया जायेगा जिसमें कौशल प्रशिक्षण तथा आजीविका विशेषज्ञ, वितीय समावेशन विशेषज्ञ, सामाजिक संगठन विशेषत, क्षमता संवर्धन विशेषज्ञ, उद्योग संघो के प्रतिनिधि आदि होंगे। एन.यू.एल.एम. हेतु राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूहों के सदस्यों तथा अध्यक्ष का नामांकन **'हूपा'** का मंत्री करेगा। राज्य तकनीकी सलाहकार समूहों के सदस्यों तथा अध्यक्ष का चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा और इसमें हूपा मंत्रालय द्वारा नामांकित दो व्यक्ति भी होंगे। नगरीय तकनीकी सलाहकार समूहों के गठन हेतु राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देश जारी किये जायेगे।

राष्ट्रीय मिशन प्रबंध इकाई (एन.एम.एम.यू.)

१३.३–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) की एक गवर्निंग काउंसिल/शासी परिषद होगी जिसकी अध्यक्षता आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के मंत्री करेंगे। एक कार्यकारिणी समिति (ई.सी.) होगी जिसकी अध्यक्षता हुपा के सचिव द्वारा की जायेगी। शासी परिषद नीति निर्धारक होगी जो कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मिशन की समग्र नीति एवं दिशा तय करेगी। ये मिशन की प्राथमिकतायें निर्धारित करेगी और समग्र विकास की समीक्षा करेगी। शासी परिषद का गठन निम्नलिखित रूप से होगा–

क्रमसंख्या	पद	सदस्यता
१	आवास एंव शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के मंत्री	अध्यक्ष
२–४	अध्यक्ष द्वारा नामांकित नगर विकास/स्थानीय स्वशासन/ एमए के तीन राज्य मंत्री (रोटेशन के आधार पर)	सदस्य
५	सदस्य (नगर विकास) योजना आयोग	सदस्य
६	सदस्य (श्रम एवं रोजगार), योजन आयोग	सदस्य
७	सचिव, नगर विकास	सदस्य
८	सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
९	सचिव, मानव संसाधन विकास	सदस्य
१०	सचिव,श्रम एवं रोजगार	सदस्य
११	सचिव, सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम	सदस्य
१२	सचिव,महिला एवं बाल विकास	सदस्य
१३	सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	सदस्य
१४	प्रधानमंत्री के कौशल विकास सलाहकार	सदस्य
१५	भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग मामलों के उप राज्यपाल	सदस्य
१६	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष	सदस्य
१७–१९	प्रख्यात आजीविका विशेषज्ञ/नागरिक संगठनों/उद्योग प्रतिनिधियों में से अध्यक्ष द्वारा नामित तीन व्यक्ति	सदस्य
२०	सचिव, (हूपा)	संयोजक
२१	अध्यक्ष द्वारा चयनित कोई भी अन्य व्यक्ति	सदस्य

१३.४– कार्यकारिणी समिति का गठन भारत सरकार के हूपा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसका प्रमुख कार्य मिशन के कार्यकलापों की निगरानी करना होगा। कार्यकारिणी समिति विभिन्न योजनओं, विभागों और संस्थाओं के मध्य सरल कार्यक्षम संयोजन सुनिश्चित करेगी। कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा–

क्रमसंख्या	पद	सदस्यता
१	सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन	अध्यक्ष
२	सचिव, नगर विकास अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
३	सचिव, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
४	भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
५	भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष	सदस्य
६	सचिव ,ग्राम्य विकास या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
७	सचिव, श्रम एवं रोजगार	सदस्य
८	सचिव, सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम	सदस्य
९	सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग	सदस्य
१०	सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
११	सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	सदस्य
१२–१३	वरिष्ठ सलाहकार नगर विकास और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, योजना आयोग	सदस्य
१४	मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम),आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
१५	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार	सदस्य
१६–१७	रोटेशन के आधार पर नगर विकास/स्थानीय स्वशासन/एमए के राज्य सचिव (x३)	सदस्य

१८	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	सदस्य
१९–२०	प्रख्यात आजीविका विशेषज्ञ/नागरिक संगठनों/उद्योग प्रतिनिधियों में से हूपा मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति (x२)	सदस्य
२१–२३	अध्यक्ष द्वारा नामित तीन नगर आयुक्त, रोटेशन के आधार पर	सदस्य
२४	मिशन निदेशक (एनयूएलएम आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)	संयोजक
२५	अध्यक्ष द्वारा चयनित कोई भी अन्य व्यक्ति	सदस्य

१३.५– एन.यू.एल.एम. एक स्वतंत्र संस्था के रूप में गठित किया जायेगा जिसकी सहायता हेतु राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एन.एम.एम.यू.) होगी। ये इकाई पूर्णतः मिशन निदेशक की देखरेख में कार्य करेगी। राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई एन.यू.एल.एम. के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी। मिशन निदेशक की सहायता हेतु दो निदेशक, चार उप सचिव, पांच अनुभाग अधिकारी और छः सहायकों सहित कम से कम १० सदस्यों वाला अधीनस्थ कर्मचारियों और तकनीकी सहयोगियों का समूह होगा।

१३.६– एन.एम.एम.यू. का कार्य, पर्याप्त स्टॉफ युक्त राज्य मिशन प्रबंधक इकाईयों (SMMU) और नगर प्रबंधक इकाईयों (CMMU) का गठन करने में सहयोग प्रदान करना और इनके परिप्रेक्ष्य में योजनाओं को तैयार करना (जैसे राज्य शहरी गरीबी उपशमन रणनीति, शहरी आजीविका विकास योजना), एन.यू.एल.एम. के तहत दिशानिर्देशों को तैयार करना, एन.यू.एल.एम. के क्रियान्वयन की निगरानी करना, शहरी निराश्रितों के लिये शरणालयों के निर्माण हेतु सुविधा उपलब्ध कराना और अन्य योजनाओं/मंत्रालयों/विभागों/उद्योग संघों के साथ संपर्क स्थापित करके राष्ट्रीय/राज्य/नगर स्तर पर अभिसरण क्रिया हेतु नये क्षेत्रों का अन्वेषण करना होगा।

राज्य मिशन प्रबंध इकाई (SMMU)

१३.७– राष्ट्रीय आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के राज्य स्तरीय प्रबंधन हेतु एक द्विस्तरीय व्यवस्था होगी जिसमें एक शासी परिषद और एक कार्यकारिणी समिति होगी। राज्य स्तरीय शासी परिषद की अध्यक्षता राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा और कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता राज्य के प्रमुख सचिव द्वारा की जायेंगी।

१३.८– राज्य स्तरीय शासी परिषद का गठन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा–

क्रमसंख्या	पद	सदस्यता
१	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
२	वित्त मंत्री	उपाध्यक्ष
३	स्थानीय नगर निकायों से संबधित नगर विकास/स्वशासन /नगरीय मामलों/प्रशासन के मंत्री	सदस्य
४	ग्राम विकास मंत्री	सदस्य
५	श्रम एवं रोजगार मंत्री	सदस्य
६	उद्योग मंत्री,	सदस्य
७	स्वास्थ्य मंत्री	सदस्य
८	तकनीकी शिक्षा मंत्री	सदस्य
९	प्रमुख सचिव	सदस्य
१०	राज्य लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
११	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
१२–१३	स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधि– २ मेयर/अध्यक्ष	सदस्य
१४–१६	प्रख्यात आजीविका विशेषज्ञ/नागरिक संगठनों/उद्योग संघ के ३ प्रतिनिधि	सदस्य
१७	एनयूएलएम के प्रभारी सचिव/प्रमुख सचिव	संयोजक
१८	अध्यक्ष द्वारा चयनित कोई भी अन्य व्यक्ति	सदस्य

सत्यमेव जयते

१३.६– कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नलिखित रूप से होगा–

क्रमसंख्या	पद	सदस्यता
१	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
२	स्थानीय नगर निकायों के सचिव/प्रमुख सचिव	सदस्य
३	नगर विकास/आवास विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव	सदस्य
४	वित्त विभाग के सचिव	सदस्य
५	सचिव, ग्राम विकास	सदस्य
६	सचिव, श्रम एवं रोजगार	सदस्य
७	सचिव, सामाज कल्याण	सदस्य
८	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
९	सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
१०	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	सदस्य
११	सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	सदस्य
१२	सचिव प्राथमिक शिक्षा	सदस्य
१३–१४	राज्यलीड बैंक अधिकारी तथा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रमुख	सदस्य
१५	भारतीय रिजर्व बैंक का राज्य प्रतिनिधि	सदस्य
१६	उद्योग प्रतिनिधि	सदस्य
१७–१९	स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के तीन प्रतिनिधि	सदस्य
२०	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य मिशन निदेशक	सदस्य
२१	तकनीकी शिक्षा/श्रम/उद्योग के राज्य अधिकारी	सदस्य
२२	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
२३	एनयूएलएम के राज्य मिशन निदेशक	सदस्य–संयोजक
२४	अध्यक्ष द्वारा चयनित कोई अन्य व्यक्ति	सदस्य

१३.१०– शहरी आश्रयहीनों हेतु शरणालयों का निरूपण, निर्माण तथा संचालन नगर निकायों द्वारा अथवा अन्य संस्थाओं, जिनमें कि राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाएं शामिल हों, द्वारा किया जायेगा। एस.यू.एच. के अर्न्तगत स्वीकृत उपयुक्त एंव व्यवहार्य योजनाओं में से प्रत्येक की जांच पड़ताल राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी।

१३.११– राज्य शहरी आजीविका मिशन का गठन एक संस्था के रूप में किया जायेगा और इसकी सहायता हेतु राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस.एम.एम.यू.) होगी जो राज्य में मिशन के क्रियान्वयन और अन्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की निगरानी करेगी। राष्ट्रीय एवं राजकीय मिशनों के मध्य एक प्रतीकात्मक संबंध होगा। शहरी आजीविका एवं गरीबी उपशमन क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान तथा सेवाओं का दोनों सह उपभोग कर सकेंगे।

१३.१२– राज्य मिशन प्रबंधन इकाई की अध्यक्षता एक मिशन निदेशन करेगा जिसकी सहायता के लिए, कौशल तथा आजीविका, क्षमता संवर्धन, वित्त एवं प्रशासन तथा लघु उद्यमों से संबंधित कम से कम ४ परियोजना अधिकारी होंगे। राज्य मिशन को कार्यात्मक स्वायत्ता प्राप्त होगी और ये पूर्णतः राज्य के सचिव/प्रमुख सचिव के तहत कार्य करेगा जो राज्य में मिशन के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

१३.१३– राज्य इकाई आवश्यकतानुसार सामाजिक संगठन, संथा विकास, क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण सुक्ष्म ऋण विकास, आजीविका विकास, कौशल प्रशिक्षण तथा आयिक रोजगारों में नियोजन, लिंग, संप्रेषण, एम.आई.एस. निरीक्षण तथा मूल्यांकन, मानव संसाधन, वित्त एवं प्रशासन आदि से संबंधित विशेषज्ञों अपने साथ शामिल कर सकेगी।

१३.१४– राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के तहत एक दक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) दल-कक्ष होगा जो ऑनलाइन निगरानी का कार्य करेगा। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (JNNURM) तथा (RAY) की कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों के अभिसरण को सुनिश्चित करेगी।

१३.१५– राज्य मिशन प्रबंधन इकाई का ये उत्तरदायित्व होगा कि वह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य सहयोग को सुनिश्चित कर अभिसरण की गतिविधियों को सुसाध्य बनाये जिससे कि एन.यू.एल.एम.और अन्य कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। ये विभिन्न राष्ट्रीय/क्षेत्रीय और राजकीय संसाधन संस्थानों की सेवाओं का प्रयोग करेगी, ताकि मिशन कार्यक्रम के विभिन्न घटकों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। ये एन.यू.एल.एम. की नगर स्तरीय इकाईयों के मध्य उचित तालमेल/समन्वय को भी सुनिश्चित करेगी।

नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई (CMMU)

१३.१६– नगर स्तर पर एन.यू.एल.एम. का प्रबंधन एक कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त द्वारा की जायेगी। इस कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा–

क्रमसंख्या	पद	सदस्यता
१	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
२	(एन.यू.एल.एम.) का प्रभारी अधिकारी	सदस्य
३	उद्योगों से संबंधित अधिकारी	सदस्य
४	आदर्श रोजगारयोग्य कौशलों से संबंधित अधिकारी	सदस्य
५	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
६	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
७	जिले में नियुक्त लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ मुख्य अभियंता/वरिष्ठ अभियंता/अधिशासी अभियंता	सदस्य
८	प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा से संबंधित वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
९	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
१०–११	बैंकों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
१२–१३	स्वयं सहायता समूहों और उनके संघो के दो प्रतिनिधि	सदस्य
१४	एनयूएलएम का नगर परियोजना अधिकारी	संयोजक
१५	अध्यक्ष द्वारा चयनित काई भी अन्य व्यक्ति	सदस्य

१३.१७– एन.यू.एल.एम. के तहत आने वाले आजीविका घटकों के अतिरिक्त कार्यकारिणी समिति, नगर स्तर पर नियोजन, एस.यू.एच. के अर्न्तगत सृजित सुविधाओं के क्रियान्वयन तथा प्रबंधन सहित, निकाय प्राधिकारियों, सामुदायिक प्रतिनिधियों, नागरिक संगठनों, संबद्ध विभागों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी हेतु भी उत्तरदायी होगी।

१३.१८– एक दक्ष समर्पित नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई का प्रबंधन नगर परियोजना अधिकारी (CPO) द्वारा किया जायेगा। नगर परियोजना अधिकारी/नगर उपायुक्त/प्राशासी अधिकारी की रैंक का अधिकारी होगा तथा इसकी सहायता हेतु एकाधिक सहायक परियोजना अधिकारियों सहित एक क्रियाशील विशेषज्ञों का समूह होगा जिसमें सामुदायिक संगठन, संस्था तथा क्षमता संवर्धन, सूक्ष्म ऋण, आजीविका, और लघु उद्यम क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मेट्रोपालिटन/महानगरों में नगर परियोजना अधिकारी की सहायता हेतु कम से कम दो सहायक परियोजना अधिकारी अवश्य होंगे। कार्यात्मक विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जायेगा तथा ये नगर परियोजना अधिकारी के नेतृत्व में संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों/कार्यों को अंजाम देंगे। नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई शहर की सामुदायिक संरचनाओं से संबद्ध होंगे। सी.एम.एम.यू. द्वारा सामुदायिक संगठनकर्ताओं को इन संबद्ध संरचनाओं को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रखा जायेगा। प्रत्येक सामुदायिक संगठनकर्ता कम से कम ३००० निर्धन परिवारों को अच्छादित/कवर करेगा।

१३.१९– सी.एम.एम.यू शहरों में एन.यू.एल.एम. के दिशा निर्देशानुसार मिशन कार्यक्रम हेतु उत्तरदायी होंगी, ये ही शहर में एन.यू.एल.एम. के तहत नगरीय आजीविका विकास योजनाओं के विकास और क्रियान्वयन के लिये तथा एन.यू.एल.एम. के प्रशासन एवं वित्त हेतु भी जिम्मेदार होंगी।

१३.२०– मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा निरंतर राज्य तथा नगर स्तर पर शहरी गरीबों के लिए आजीविका एवं कौशल विकास की स्थायी दीर्घ कालिक संरचनाओं की परिकल्पना की जायेगी। अतः राज्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य एवं नगर स्तरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों की नगरीय समुदायिक विकास/गरीबी उपशमन योजनाओं हेतु दक्ष/समर्पित राज्य/निकाय कर्मचारियों की पूर्ति हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करायेंगे। जिन्हें अनुबंधित विशेषज्ञों/पेशेवरों द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। जब-तक ऐसा कैडर/संवर्ग गठित और क्रियाशील नहीं हो जाता तब-तक आगामी पांच वर्षों तक एन.यू.एल.एम. के प्रबंधन हेतु अनुबंध आधारित विभिन्न रिक्तियों के लिए धन उपलब्ध कराया जायेगा।

निगरानी और मूल्यांकन

१४.१–राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के संदर्भ में मासिक प्रगति आख्या/त्रैमासिक प्रगारी आख्या निर्धारित प्रारूप में भेजनी आनिवार्य होगी। इन मासिक प्रगति आख्याओं/त्रैमासिक प्रगति आख्याओं के अलावा एन.यू.एल.एम. के मिशन निदेशक द्वारा समय-समय पर उपयुक्त समझी जाने वाली प्रगति आख्याओं का निर्धारण किया जा सकेगा। सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा एन.यू.एल.एम. के विभिन्न घटकों की प्रगति के संबंध में नगरीय मिशन प्रबंधन इकाइयों की उचित निगरानी और मासिक आख्या हेतु समुचित प्रणाली का विकास किया जायेगा।

१४.२– निर्धारित संसाधनों एवं गतिविधियों के भौगोलिक पैमानों और मानकों को एन.यू. एल.एम. द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। एन.यू.एल.एम. के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की निगरानी हेतु एक दक्ष सूचना एवं तकनीकी दल (आई.टी.टीम) होगा। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को अपनी प्रगति रिपोर्ट/आख्या ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।

१४.३– निगरानी कार्य के तहत, तृतीय पक्षीय मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन, शिक्षण और सामाजिक लेखा आदि तो सम्मिलित होगा ही किन्तु ये मात्र इन्हीं तक सीमित नहीं होंगा। मिशन का मूल्यांकन इसके क्रियान्वयन के दौरान किया जाता रहेगा ताकि योजना के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मध्यवर्ती सुधार किये जा सकें।

१४.४– इन सभी गतिविधियों पर आने वाले व्ययों को एन.यू.एल.एम. के प्रशासन एवं अन्य व्यय वाले घटक में शामिल किया जायेगा।

क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश

१५.१– भारत के 'हूपा' मंत्रालय में स्थित मिशन निदेशालय द्वारा, मिशन के प्रभावशाली परिचालन, क्रियान्वयन और निगरानी हेतु समय-समय पर एन.यू.एल.एम. के प्रत्येक घटक अथवा उपघटक के लिए विस्तृत कार्यात्मक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

संलग्नकः–राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची

क्र सं	बडे राज्यों की सूची.	छोटे राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची
१	आन्ध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
२	असम	गोवा
३	बिहार	हिमाचल प्रदेश
४	छत्तीसगढ़	जम्मू और कश्मीर
५	गुजरात	मणिपुर
६	हरियाणा	मिजोरम
७	झारखण्ड	मेघालय
८	कर्नाटक	नागालैण्ड
९	केरल	सिक्किम
१०	महाराष्ट्र	त्रिपुरा
११	मध्य प्रदेश	उत्तराखण्ड
१२	उडीसा	अंडमान और निकोबार द्वीप
१३	पंजाब	चंडीगढ़
१४	राजस्थान	दादर और नागर हवेली
१५	तमिलनाडु	दमन और द्वीव
१६	उत्तर प्रदेश	लक्ष्यद्वीप
१७	पश्चिम बंगाल	पाण्डुचेरी
१८	दिल्ली	